न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प खनौड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 277/17

1. ओमप्रकाश पुत्र वागाराम
2. लुणकरण पुत्र वागाराम
3. अशोक कुमार पुत्र वागाराम
4. भंवरीदेवी पत्नि वागाराम
5. खीमाराम पुत्र लिक्ष्मणाराम
6. सेनाराम पुत्र लिक्ष्मणाराम
7. बीजाराम पुत्र लिक्ष्मणाराम
8. नारायणाराम पुत्र लिक्ष्मणाराम
9. छगनलाल पुत्र लिक्ष्मणाराम

जाति सुथार निवासी खनौड़ा तह0 पचपदरा

बनाम

1. सुखाराम पुत्र जवाराराम
2. उदाराम पुत्र जवाराराम
3. वालीदेवी पत्नि पुरखाराम
4. रिडाराम पुत्र सुरताराम
5. दानाराम पुत्र सुरताराम
6. केसाराम पुत्र सुरताराम
7. माधाराम पुत्र मोडाराम
8. भंवराराम पुत्र मोडाराम
9. हुकमाराम पुत्र नारायणाराम
10. तेजाराम पुत्र नारायणाराम
11. मीरा पत्नि पोकरराम
12. दुदाराम पुत्र पोकरराम
13. पोलाराम पुत्र पोकरराम
14. किशनाराम पुत्र पोकरराम
15. कानाराम पुत्र पोकरराम
16. भागीरथ पुत्र पोकरराम
17. उकिया पुत्र मानाराम
18. घेवरराम पुत्र मानाराम
19. सेनाराम पुत्र मानाराम
20. ढलाराम पुत्र शिवाराम
21. वनाराम पुत्र शिवाराम
22. जगाराम पुत्र शिवाराम
23. राजस्थान राज्य सरकार जरिये भूमिधारक तह0 पचपदरा

अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251 ए आर.टी.ए (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 के तहत स्वीकृति हेतु

निर्णय

दिनांक:– 19.6.2018

उपस्थित

1. श्री श्यामसिह राठौड़ अधिवक्ता प्रार्थी

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प खनौड़ा मे पेश हुई । प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए का विप्रार्थी के खिलाफ पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है। कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर व्यक्त किया है। की प्रार्थीगण के ख0 न0 51 रकबा 156.06 बीघा मे आवागमन हेतु पड़ौसी ख0 न0 59 रकबा 107.02 मे से 0.07 एवं ख0 न0 60 रकबा 149.06 बीघा मेसे 1.01 सार्वजनिक रास्ता हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

उक्त प्रकरण मे तहसीलदार पचपदरा से जाच रिपोर्ट मंगवाई एवं कैम्प के दौरान स्वंय पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। जाचं रिपार्ट

(भागीरथ राम)
... लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018 ... खनौड़ा)

Scanned by CamScanner

के अनुसार ख0 न0 51 मे आवागमन हेतु हुए सार्वजनिक रास्ता सड़क सरकारी भूमि नही आई हुई है। एवं उक्त खसरा के निकटतम दूरी तक ख0 न0 59 व 60 आये हुए है। ख0 न0 59 मे परिशिष्ट ए से बी दूरी 69 गट्टा व चौड़ाई 2 गट्ठा रकबा 0.07 बीघा डी एल सी दर 13,500 कुल राषि 4,725 एवं ख0 न0 60 मे से बिन्दु बी से सी लम्बाई 205 गट्टा चौड़ाई 2 गट्टा रकबा 1.01 डीएलसी दर 13,500 से राशि 14,175 होते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा खनौड़ा के खसरा न0 59 रकबा 107.02 मे से 0.07 रकबा ख0 न0 60 रकबा 149.06 मे से 1.01 बीघा सार्वजनिक रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। एवं खसरा न0 59 के रेकर्ड खातेदार को हिस्सेनुसार 4725 की दूगनी राशि 9450 एवं ख0 न0 60 के रेकर्ड खातेदार को हिस्सेनुसार राशि 14175 की दूगनी 28,350 रूपये प्रार्थीगण से प्राप्त कर विप्रार्थीगण को देने का आदेश जारी हो । प्रार्थीगण द्वारा कुल राशि रूपये 37800/– जमा करवाने पर राजस्व रेकर्ड मे अमलदरामद व तरमीम की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 19.6.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प खनौड़ा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी सह सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प (एस.डी.ओ.) बालोतरा

Scanned by CamScanner